



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

निःशक्तता हितलाभ

बीमित कामगारों के सुरक्षित भविष्य का आधार



विशेषताएं

- स्थायी निःशक्तता के मामले में अर्जन क्षमता में हुई कमी के अनुपात में आजीवन भुगतान
- अस्थायी निःशक्तता के मामले में वेतन के 90% की दर से निःशक्तता बने रहने तक भुगतान



हितलाभ पाने की प्रक्रिया

- नियोजक की ओर से दुर्घटना की ऑनलाइन रिपोर्ट जमा करवाएं
- बीमित कामगार अथवा परिजन क्लेम फॉर्म तथा दुर्घटना के चिकित्सीय दस्तावेज़ संभाल कर रखें
- शाखा प्रबंधक द्वारा जांच के बाद निःशक्तता हितलाभ के तहत नकद भुगतान सीधे बैंक अकाउंट में



निःशक्तता हितलाभ की अधिक जानकारी के लिए QR Code स्कैन करें